

	<p>5. प्रत्येक ग्राम साधारण निकाय जो धारा 3 के तहत सरकारी राजपत्र में नाम से अधिसूचित ग्राम साधारण निकाय का निगम है, शाश्वत उत्तराधिकार के साथ एक निगमित निकाय होगा तथा कॉमन सील होगा और इस विनियम के तहत लगाए गए प्रतिबन्ध और शर्तों के आधार पर चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने, उपयोग करने और हस्तान्तरण करने का उन्हें अधिकार होगा, और वह किसी संविदा के करने के लिए कोई वाद चलाएगा।</p> <p>परन्तु शर्त यह है कि ग्राम साधारण निकाय की शक्तियाँ और कार्य, इस विनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबधित है, उसके सिवाय धारा 11 के तहत गठित ग्राम परिषद द्वारा प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन किया जाए।</p>	ग्राम साधारण निकाय का निगमन
	<p>6. (1) प्रशासक संबंधित ग्राम साधारण निकाय अथवा ग्राम साधारण निकायों से परामर्श कर किसी भी समय सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्न कार्य को कर सकता है :-</p> <p>(क) ग्राम में किसी क्षेत्र को सम्मिलित करना;</p> <p>(ख) ग्राम से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करना, अथवा;</p> <p>(ग) घोषणा करना कि कोई स्थानीय क्षेत्र ग्राम न रहे।</p> <p>(2) जहाँ किसी क्षेत्र को उप धारा (1) के तहत शामिल किया गया हो, ऐसा क्षेत्र उसके द्वारा ग्राम साधारण निकाय के क्षेत्राधिकार के भीतर क्षेत्र में लागू किसी अन्य नियमों अथवा इस विनियम के तहत बनाए गए सभी नियमों, उप नियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों के अधीन होगा;</p> <p>(3) उप धारा (1) के तहत जहाँ -</p> <p>(क) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र ग्राम न रहे, ग्राम साधारण निकाय अस्तित्वहीन होता है और इसके आस्तियाँ और दायित्व ऐसे तरीके से जैसा निर्धारित किया जा सकता है, निपटाए जाएँ।</p> <p>(ख) ग्राम क्षेत्र का एक भाग, उस ग्राम क्षेत्र का एक भाग न रहे, ग्राम साधारण निकाय का क्षेत्राधिकार उस हद से कम किया जाए।</p>	
	<p>7. (1) ग्राम साधारण निकाय का सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि</p> <p>(क) वह धारा 4 की उप धारा (1) के तहत अयोग्य ठहरता हो;</p> <p>(ख) क्षेत्र जहाँ का वह निवासी है ग्राम साधारण निकाय के क्षेत्राधिकार से अपवर्जित किया गया है।</p> <p>(ii) जहाँ, कोई व्यक्ति की, धारा 4 की उप धारा (i) के तहत ग्राम साधारण निकाय का सदस्य नहीं रहता है, उसके सदस्य होने के कारण उनके चयनित अथवा नियुक्ति पद भी समाप्त हो जाएगी।</p>	सदस्यता का समापन